संख्या-10 /2016/आर.एफ. \25 /नौ-9-16-224ज /05

पेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, रामपुर,
जनपद-रामपुर।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक \7 फरवरी 2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर पालिका परिषद, रामपुर की शापिंग काम्प्लेक्स की पुनरीक्षित परियोजना हेतु नया सवेरा नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृति करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-आर.एफ.332/नौ-9-2012-224ज/05 दिनांक 04 जुलाई, 2013, शासनादेश संख्या-आर.एफ.448/नौ-9-2014-224ज/05 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्या-आर.एफ.669/नौ-9-2014-224 ज/05 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद, रामपुर, जनपद-रामपुर में शापिंग काम्प्लेक्स निर्माण से संबंधित अवशेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु तृतीय पुनरीक्षित परियोजना रू0 1613.38 लाख को रू0 1606.63 लाख की लागत पर मूल्यांकित की गयी। प्रायोजना की मूल्यॅांकित लागत का विवरण संलग्न है। अतः नगर पालिका परिषद,रामपुर में शापिंग काम्प्लैक्स के निर्माण से सम्बन्धित परियोजना मूल्यॅांकित लागत रू0 1606.36 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये द्वितीय पुनरीक्षित मूल्यांकित लागत रू0 1238.44 लाख को घटाते हुये अवशेष धनराशि रू0 368.19 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उपलब्ध धनराशि **रू0 2,82,25,000/- (रूपये दो करोड बयासी लाख पच्चीस हजार मात्र)** को नया सवेरा नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धो के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है -:

(1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(2). स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में

सीधे जमा किया जायेगा उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि को किसी अन्य बैंक/ डाकघर/ पी.एल.ए. व डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो हेतु निविदांओं की स्वीक्रति एवं बिलों के भुगतान आदि का कार्य निकाय के सम्बन्धित सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे तथा धनराशि के सदुपयोग एवं शासन को ऋण की अदायगी के लिए व्यक्तिगत/ संस्थागत रूप से उत्तरदायी होगें।

(4) योजनान्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/ बी-1-925 दस-2015-.231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृतिए जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(6). धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यो पर ही किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा ताकि किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा। विद्युत कार्यो के लिये शासनादेश संख्या-1383/नौ-9-14-84ज/14 दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/215/1689-/नौ-8-15-96ज/15 दिनांक 20.11.2015 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(8) स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है उनके लिए स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(9) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।

(10) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम डिस्पले बोर्ड पर योजना का नाम अर्थात् नया सवेरा नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।

(11) उपर्युक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहें है। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। .

(12) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों का प्रयोग नियमानुसार न्यूनतम व वास्तविक दरों पर तथा सुसंगत नियमों के अधीन किया जाय तथा इसके लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय, जिसके द्वारा उपरोक्त के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा तथा निर्माण की गुणवत्ता एवं कार्यो की प्रगति का नियमित श्रवण किया जाय ताकि टाइम/कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(14) प्रायोजना के अन्तर्गत फाउण्टेन, जनरेटर एवं ट्रान्सफारमर,फैन, प्री-पेड मीटर से संबंधित कार्य मदे प्रस्तावित की गयी है, जो प्रोपाइटरी श्रेणी की है, जिनके शिडयूल आफ रेट उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(15) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय तथा नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियेरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य किया जाय।

(16) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे उसकी सूचना पूर्ण विवरण शासन/वित्त विभाग उ0प्र0शासन को प्रस्तुत करते हुये यथाविधिक स्वीकृति प्राप्त करें।

(17) उपर्युक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे है। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निकाय को स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्षउक्त धनराशि अवमुक्त की गयी है उनके द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि का 70 प्रतिशत उपयोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

http://sanskritdocuments.org

(18) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के लेखा शीर्षक- ' 6215-जल पूति तथा सफाई के लिये कर्ज आयोजनागत -02-मल-जल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नया सवेरा नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण' के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- " 6215-जल पूति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मल-जल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-नया सवेरा नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण ' में उपलब्ध बचत से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/ बी-1-925 दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-बी.एम.-9 (भाग-1)

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 10/2016/आर.एफ. 1250/नौ-9-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3 कोषाधिकारी, रामपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सम्बन्धित नगर पालिका परिषद, अध्यक्ष, उ0प्र0।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8
9. गार्ड फाइल।
10. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://lsgcodhadesh.up.nic.in